तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता अहकाम ज हुक्म की त में जारी
9-5-18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट गणेशपुरा में प्रस्तुत हुई। प्रार्थी बाबूलाल एवं अप्रार्थी संख्या 6 चिरंजीलाल अप्रार्थी सं. 7 ओमप्रकाश कैम्प कोर्ट गणेशपुरा में उपस्थित। उभयपक्षों को ओमप्रकाश शर्मा सुना गया। प्रार्थी का मूल वाद आधिघोषणा, पुश्तैनी हस्तान्तरण स्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित है। मूल वाद के निस्तारण [illegible] भूमि को रहन, बय, हस्तान्तरण व [illegible] रहने व राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु [illegible] किया जाना अपेक्षित है। अर्थ [illegible] भूमि ग्राम गणेशपुरा स्थित ख. नं. 335 रकबा [illegible] है. तथा ख. नं. 356 रकबा 1.84 है. भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रतिबन्धित। अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाता है तथा प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। प्रकरण कौशल कुमार [illegible] कम है तथा वाद तकसीम प्रविवाद लोक महत्व का है एवं मूल वाद के संबंधित है। निर्णय राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट गणेशपुरा के माध्यम आम में लिखवाया जाकर सुनाया गया।	

न्यायालय राजस्व लोक अदालत अजमेर
न्याय आपके द्वार 2018

सहायक कलक्टर
टोंक